रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED NO.D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड—I

PART III—Section—I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शुक्रवार जुलाई 13, 1979/आषाढ़ 22, 1901

No. 3] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 13, 1979/ASADHA 22, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

बम्बई, 12 जुलाई, 1979

[सं. 5(2)/79-सी. एल. बी. 2].—कृत्रिम रेशमी वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 के खंड 3 की में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं निम्नलिखित निदेश जारी करता हूं :

(1) इन निदेशों का पालन तत्काल होगा और यह 31 मार्च, 1982 तक प्रभावी रहेंगे ।

(2) सूत के सभी विनिर्माता इन निदेशों का पालन करेंगे ।

(3) यदि कोई विनिर्माता इस अधिसूचना के परंतुकों का पालन करने में उचित कारणों से असमर्थ हो तो उसे तत्काल इस अधिसूचना के पालन में अपनी असमर्थता का पूरा औचित्य देते हुए वस्त्र आयुक्त को आवेदन देकर इस विषय में उनके विशेष आदेश प्राप्त कर लेने चाहियें ।

2. प्रत्येक सूत विनिर्माता जुलाई-सितम्बर, 1979 की तिमाही से लेकर और उसके बाद प्रत्येक तिमाही में नागरिक उपभोग के लिए हैंक के रूप में सूत पैक करेगा जिसका अनुपात, प्रत्येक तिमाही में नागरिक उपभोग के लिये उसके द्वारा पैक किये संपूर्ण सूत के पचास प्रतिशत से कम न होगा ।

स्पष्टीकरण एक.—इस अधिसूचना के लिये 'सूत' शब्द का अर्थ उक्त कृत्रिम रेशमी वस्त्र (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, 1962 में कृत्रिम रेशमी सूत के अर्थ में ही होगा, लेकिन जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं होंगे :—

(1) मानव-निर्मित सेल्यूलोसिक फिलामेंट यार्न (2) मानव-निर्मित नान-सेल्यूलोसिक फिलामेंट यार्न (3) मानव-निर्मित मंटीलिक यार्न (4) होजीयरी यार्न (5) सीने का धागा (6) औद्योगिक सूत जैसे टायर कार्ड आदि (7) विभिन्न काउंट्स के काप बाटम से रील किया गया मिश्रित सूत और काप बाटम से रील किया गया छूटे सिरोंवाला सिंगल काउंट का सूत अथवा कम दूरी पर गाठोंवाला इकहरा सूत ।

स्पष्टीकरण दो.—"नागरिक उपभोग के लिए पैक किया सूत" इस उक्ति से तात्पर्य (1) ऐसे विनिर्माता की दशा में जो वस्त्र और सूत दोनों बनाता है ऐसे सूत से है जो उसके अपने कारखाने की वीविंग शेड में वस्त्र बनाने में वास्तविक रूप से उपयोग किए गए सूत से अतिरिक्त मात्रा में भारत में बेचे जाने के उद्देश्य

से पैक किया हो, और (2) ऐसे विनिर्माता की दशा में जो सिर्फ सूत ही बनाता है, ऐसे सूत की सम्पूर्ण मात्रा से है जो उसने भारत में ही बेचे जाने के उद्देश्य से पैक किया हो।

गौरीशंकर भार्गव, संयुक्त वस्त्र आयुक्त

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

NOTIFICATION

Bombay, the 12th July, 1979

No. 5(2)/79-CLB. II .—In exercise of the powers conferred on me by Clause 3B of the Art Silk Textiles (Production & Distribution) Control Order, 1962, I hereby issue the following directions :

(i) These directions shall come into force immediately and shall continue to be in force till 31st March, 1982.

(ii) These directions shall be complied with by all manufacturers of yarn.

(iii) If a manufacturer of yarn is not able to comply with the provisions of this Notification for valid reasons, he shall apply forthwith to the Textile Commissioner giving full justification for his inability to comply with the Notification and obtain his specific orders in that behalf.

2. Every manufacturer of yarn shall pack yarn for civil consumption in hank form in each quarter commencing from the July—September, 1979 quarter and i ry subsequent quarter in proportion of not less than f cent of total yarn packed by him during each quarter civil consumption.

Explanation I.—"Yarn" for the purpose [redacted]is Notification shall mean Art Silk Yarn within the meaning of the above said Art Silk Textiles (Production and Distribution) Control Order, 1962 but does not include the following :—

(1) Man-made cellulosic filament yarn, (2) man-made non-cellulosic filament yarn, (3) Man-made metallic yarn, (4) Hosiery Yarn, (5) Sewing Thread, (6) Industrial yarn like tyre cord etc., (7) Mixed yarn reeled off from cop bottoms of various counts and yarn comprising of single count reeled off from cop bottoms having loose and or knots at short lengths of single yarn.

Evjlanation II.—The expression "yarn packed for civil consumption" shall : (1) in the case a manufacturer manufacturing both cloth and yarn means yarn packed in excess of yarn actually used for weaving of cloth in his own weaving shed in the factory premises for sale in India, and (2) in the case of manufacturer manufacturing yarn only the entire quantity of yarn packed by him for sale in India.

G. S. BHARGAVA, Jt. Textile Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979